न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 93/2016

1. रणजीत सिंह पुत्र स्व. कर्म सिंह
2. गुरदीप कौर पत्नि स्व. कर्म सिंह
3. मनजीत सिंह पुत्र स्व. हरबंस सिंह
4. वीर सिंह पुत्र हरबंस सिंह

जाति कम्बोज सिख, निवासीगण चक 1 सी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.–राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

A/3

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता — वादीगण
2. राज पैराकार

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 20-9-2016

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.– राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

वादीगण एक ही खानदान के सदस्य है, वादी संख्या 1 का पिता व वादी संख्या 2 के पति कर्मसिंह तथा वादी संख्या 3 व 4 के पिता हरबंस सिंह दोनो सगे भाई थे। इस प्रकार वादीगण एक ही वंश के पारिवारिक सदस्य है, एवम् उनकी कृषि भूमि चक 1 सी छोटी के खाता संख्या 87/90, 79/79, 38/31, 89/91, 70/62, 39/34, 52/49, 65/73 व 19/21 में दर्ज कागजात राज है। उक्त समस्त खातों की जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है।

वादी संख्या 1 का वास्तविक व सही नाम रणजीत सिंह है, व उसके पिता का नाम कर्म सिंह है, वादी संख्या 2 का सही व वास्तविक नाम गुरदीपकौर है, व उसके पति का नाम कर्म सिंह है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 का सही व वास्तविक नाम मनजीत सिंह है। व उसके पिता का नाम हरबंस सिंह है। तथा वादी संख्या 4 का सही व वास्तविक नाम वीर सिह है, व उसके पिता का नाम हरबंस सिंह है। इस सबंध में वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्य मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि की फोटो प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। इसके अतिरिक्त वादी संख्या 4 वीर सिंह राजकीय सेवा में कार्यरत्त है, व उसके समस्त राजकीय सेवा रिकार्ड में उसका वास्तविक व सही नाम वीर सिंह ही दर्ज है। इस सम्बंध में राजकीय सेवा सम्बंधी दस्तोवजों की फोटो प्रतियां संलग्न वाद पत्र है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर

चक 1 सी छोटी, ग्राम पंचायत 3 सी छोटी के क्षेत्राधिकार में आता है। इस प्रकार वादीगण की ग्राम पंचायत चक 3 सी छोटी है। ग्राम पंचायत चक 3 सी छोटी के वर्तमान सरपंच द्वारा भी वादीगण के सही व वास्तविक नाम के सम्बंध में प्रमाण पत्र जारी किये हुए है जिन पर वादीगण भी फोटो भी चस्पा है। सरपंच ग्राम पंचायत चक 3 सी छोटी द्वारा जारी उक्त असल प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण की कृषि भूमि चक 3 सी छोटी के खाता संख्या 87/90, 79/79, 38/31, 89/91, 70/62, 39/34, 52/49, 65/73 व 19/21 में दर्ज कागजात राज है। उक्त खातों में दर्ज भूमि उनके हिस्सानुसार उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है। मगर कर्मचारीगण माल की गल्ती अथवा अन्य त्रुटीयों के कारण वादीगण के सही नाम उक्त खातों में दर्ज न होकर वादीगण के छोटे व उपनाम उक्त खातों में दर्ज हो गये है। वादीगण के सही व वास्तविक नाम वही है, जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किये गये है। अतः वादीगण अपनें सही व वास्तविक नाम से अपनी अपनी उक्त खातों की कृषि भूमि दर्ज करवाकर उक्त भूमि को अपनें अपनें सही व वास्तविक नाम से खातेदारी घोषित करवानें व राजस्व रिकार्ड में अपना-अपना नाम दुरूस्त करवानें के अधिकारी है।

A16/2

वादीगण चक 1 सी छोटी के जिन जिन खातों में वादीगण अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहते है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

(i) वादी संख्या 1 रणजीत सिंह चक 1 सी छोटी के निम्न खातों में अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है :-

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम	वास्तविक व सही नाम
87/90	मुरब्बा नम्बर 10, 16, 40, 46 कुल 9.700 हैक्टर में से 0.622/2 = 0.311 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
79/79	मुरब्बा नम्बर 47 कुल 0.443 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
38/31	मुरब्बा नम्बर 46 कुल 1.834 हैक्टर में से 0.013/2 = 0.0065 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
89/91	मुरब्बा नम्बर 39, 48, कुल 9.614 हैक्टर में से 3.795/4 = 0.949 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
70/62	मुरब्बा नम्बर 2, 49 कुल 2.644 हैक्टर में से 0.632/4 = 0.158 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
39/34	मुरब्बा नम्बर 10, 37 कुल 6.622 हैक्टर में से 0.897 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह

(ii) वादी संख्या 2 गुरदीप कौर चक 1 सी छोटी के निम्न खातों में अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है :-

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम	वास्तविक व सही नाम
52/49	मुरब्बा नम्बर 2 कुल 1.266 हैक्टर	दीप कौर	गुरदीप कौर

(iii) वादी संख्या 3 मनजीत सिंह चक 1 सी छोटी के निम्न खातों में अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है :-

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम	वास्तविक व सही नाम
39/34	मुरब्बा नम्बर 10, 37 कुल 6.622 हैक्टर में से 0.738 हैक्टर	मलकीयत सिंह	मनजीत सिंह
65/73	मुरब्बा नम्बर 11, 47 कुल 0.468 हैक्टर	मंगत सिंह	मनजीत सिंह

लगातार 3

शपथ आयुक्त
श्री गंगानगर

(iv) वादी संख्या 4 वीर सिंह चक 1 सी छोटी के निम्न खातों में अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है :–

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम	वास्तविक व सही नाम
87/90	मुरब्बा नम्बर 10, 16, 40, 46 कुल 9.700 हैक्टर में से 0.456/2 = 0.288 हैक्टर	धीर सिंह	वीर सिंह
19/21	मुरब्बा नम्बर 10, 22 कुल 1.594 हैक्टर में से 0.342/2 = 0.171 हैक्टर	भोर सिंह	वीर सिंह

इस प्रकार उक्त खातों की भूमि में वादीगण का सही व वास्तविक नाम दर्ज न होकर त्रुटीवश उपनाम दर्ज हो गये है, जबकि उनके पिता/पति के नाम सही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के उक्त उपनाम दर्ज होनें के कारण उन्हे अपनी कृषि भूमि सम्बंधी ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेनें के दौरान भारी मुशकिलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार वादीगण को अपनी कृषि भूमि के सम्बंध में कोई भी कार्य करनें से पूर्व अपनें उपनामों के सम्बंध में बार–बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अतः दावा के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर वादीगण अपनें सही व वास्तविक नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ताकि उन्हे अपनी कृषि भूमि के सम्बंध में कोई भी कार्य करनें के दौरान मुशकिलों का सामना न करना पड़े।

A16/3

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 19.07.2016 को जबाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसमें उनके द्वारा कोई आपत्ति जाहीर नहीं की गई।

दिनांक 21.07.2016 को वादीगण की ओर से शपथपत्र मय फहरिस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। वादीगण का व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र, जो सरपंच ग्राम पंचायत 3 सी छोटी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी तथा 05.08.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.06.2016 में लिये गये प्रस्ताव संख्या 1 की प्रति तथा पहचान पत्र प्रस्तुत कियें। वादीगण के व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र में फोटो सहित सरपंच ग्राम पंचायत 3 सी छोटी द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें मुख्य तथ्य निम्नानुसार है :–

1. रणजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह व रण सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 1 सी छोटी में रणजीत सिंह पुत्र कर्मसिंह के अलावा रण सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। श्री रणजीत सिंह कि पहचान सम्बंधी समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में इनका सही नाम रणजीत सिंह ही अंकित है।
2. गुरदीप कौर पत्नि श्री कर्म सिंह व दीप कौर पत्नि श्री कर्म सिंह एक ही महिला के नाम है। चक 1 सी छोटी में गुरदीप कौर पत्नि कर्मसिंह के अलावा दीप कौर पत्नि श्री कर्म सिंह नाम का अन्य कोई महिला नहीं है। श्रीमती गुरदीप कौर कि पहचान सम्बंधी समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में इनका सही नाम श्रीमती गुरदीप कौर ही अंकित है।
3. मनजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व मलकीयत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व मंगत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 1 सी छोटी में मनजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के अलावा मलकीयत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व मंगत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। श्री मनजीत सिंह की पहचान सम्बंधी समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में इनका सही नाम मनजीत सिंह ही अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 4

4. वीर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व धीर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व भोर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 1 सी छोटी में वीर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह के अलावा धीर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व भोर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। श्री वीर सिंह कि पहचान सम्बंधी समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि में इनका सही नाम वीर सिंह ही अंकित है।

दिनांक 28.07.2016 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में प्रस्तुत वादपत्र को दोहराते हुऐ तर्क दिया कर्मचारीगण माल की गल्ती अथवा अन्य त्रुटीयों के कारण वादीगण के सही नाम उक्त खातों में दर्ज न होकर वादीगण के छोटे व उपनाम उक्त खातों में दर्ज हो गये है। वादीगण के सही व वास्तविक नाम वही है, जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किये गये है। जिसके सम्बन्ध में सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिये हैं तथा सरपंच की भी तस्दीक प्रस्तुत की हैं। अतः वाद स्वीकार किया जाकर नाम की दुरुस्ती की जावे।

A16

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातों में त्रुटिवश दर्ज उपनाम को कलमजन करते हुए निम्नानुसार वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है :-

(i) वादी संख्या 1 रणजीत सिंह चक 1 सी छोटी को निम्न खातों में खातेदार घोषित किया जाकर पूर्व में खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम को कलमजन किया जाता है :-

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम जिसे कलमजन किया जाना है।	वास्तविक व सही नाम जिसको खातेदार घोषित किया जाता है।
87/90	मुरब्बा नम्बर 10, 16, 40, 46 कुल 9.700 हैक्टर में से 0.622/2 = 0.311 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
79/79	मुरब्बा नम्बर 47 कुल 0.443 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
38/31	मुरब्बा नम्बर 46 कुल 1.834 हैक्टर में से 0.013/2 = 0.0065 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
89/91	मुरब्बा नम्बर 39, 48, कुल 9. 614 हैक्टर में से 3.795/4 = 0.949 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
70/62	मुरब्बा नम्बर 2, 49 कुल 2.644 हैक्टर में से 0.632/4 = 0.158 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह
39/34	मुरब्बा नम्बर 10, 37 कुल 6.622 हैक्टर में से 0.897 हैक्टर	रण सिंह	रणजीत सिंह

(ii) वादी संख्या 2 गुरदीप कौर चक 1 सी छोटी को निम्न खातों में खातेदार घोषित किया जाकर पूर्व में खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम को कलमजन किया जाता है :-

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम जिसे कलमजन किया जाना है।	वास्तविक व सही नाम जिसको खातेदार घोषित किया जाता है।
52/49	मुरब्बा नम्बर 2 कुल 1.266 हैक्टर	दीप कौर	गुरदीप कौर

अधिकारी

लगातार 5

(iii) वादी संख्या 3 मनजीत सिंह चक 1 सी छोटी को निम्न खातों में खातेदार घोषित किया जाकर पूर्व में खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम को कलमजन किया जाता है :–

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम जिसे कलमजन किया जाना है।	वास्तविक व सही नाम जिसको खातेदार घोषित किया जाता है।
39 / 34	मुरब्बा नम्बर 10, 37 कुल 6.622 हैक्टर में से 0.738 हैक्टर	मलकीयत सिंह	मनजीत सिंह
65 / 73	मुरब्बा नम्बर 11, 47 कुल 0.468 हैक्टर	मंगत सिंह	मनजीत सिंह

A16/3

(iv) वादी संख्या 4 वीर सिंह चक 1 सी छोटी को निम्न खातों में खातेदार घोषित किया जाकर पूर्व में खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम को कलमजन किया जाता है :–.

खाता संख्या	रकबा का विवरण	खाता में त्रुटिवश दर्ज उपनाम जिसे कलमजन किया जाना है।	वास्तविक व सही नाम जिसको खातेदार घोषित किया जाता है।
87 / 90	मुरब्बा नम्बर 10, 16, 40, 46 कुल 9.700 हैक्टर में से 0.456 / 2 = 0.288 हैक्टर	धीर सिंह	वीर सिंह
19 / 21	मुरब्बा नम्बर 10, 22 कुल 1.594 हैक्टर में से 0.342 / 2 = 0.171 हैक्टर	भोर सिंह	वीर सिंह

उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। यदि किसी वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त भार मुक्त होनें पर राजस्व अभिलेख में अंकिन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20-9-2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर